न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 56/2025

अनवान : –

1. रामजीलाल गोदारा पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी श्योपुरावास भादरा तहसील भादरा।

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री राजेश गोदारा वादी
श्री राज पैरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 20/6/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 8 बारानी के खाता सं0 217/196 के मु0 न0 2 के किला न0 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 12 ता 17, मु0 न0 3 के किला न0 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 20 कुल रकबा 5.0600है0 जिसमें बारानी 4.5520है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0780है0, गै0 मु0 भट्टा 0.341है0, गै0 मु0 भट्टा 0.089है00 राजस्व कृषि भूमि प्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी की खातेदारी में से मु0 न0 3 के किला न0 7 ता 9 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ता की भूमि व किला न0 10 की 0.01202 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। उक्त किलेजात में से कभी कोई आवागमन नही रहा है तथा ना ही उक्त रास्ता कभी अस्तित्व में रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से चिपते आगे के काश्तकारों के खेत में जाने के लिए मु0 न0 3 के किला न0 1 ता 5 में रास्ता मौजूद है जिसमें सदामत से आना जाना है

प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि को उपयोग उपभोग में ले रही है। प्रार्थी की रोही चक 8 बारानी के मु0 न0 3 के किला न0 7 ता 9 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ता की भूमि व किला न0 10 की 0.01202 गै0 मु0 रास्ता भूमि वादी की खातेदारी का ही सदामत से हिस्सा रहा है तथा उक्त किलेजात में रिकार्ड माल में गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने से वादी की खातेदारी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। ऐसी स्थिति में वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि चक 8 बारानी के मु0 न0 3 के किला न0 7 ता 9 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ता की भूमि व किला न0 10 की 0.01202 गै0 मु0 रास्ता भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:17:29 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी 1 राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया तथा रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया प्रार्थी की रोही मोजा चक 8 बारानी के खाता सं0 217/196 के मु0 न0 2 के किला न0 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 12 ता 17, मु0 न0 3 के किला न0 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 20 कुल रकबा 5.0600है0 जिसमें बारानी 4.5520है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0780है0, गै0

मु० भट्टा 0.341है0, गै0 मु0 भट्टा 0.089है00 राजस्व कृषि भूमि प्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादी की खातेदारी में से मु0 न0 3 के किला न0 7 ता 9 की कृषि भूमि मे दर्ज रास्ता की भूमि व किला न0 10 की 0.01202 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। उक्त किलेजात में से कभी कोई आवागमन नही रहा है तथा ना ही उक्त रास्ता कभी अस्तित्व में रहा है। वादी की खातेदारी भूमि से चिपते आगे के काश्तकारों के खेत में जाने के लिए मु0 न0 3 के किला न0 1 ता 5 मे रास्ता मौजूद है जिसमें सदामत से आना जाना है उक्त किलेजात में से कभी कोई आवागमन नही रहा है तथा ना ही उक्त रास्ता कभी अस्तित्व में रहा है। जिससे वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए मु0 न0 3 के किला न0 7 ता 9 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ता की भूमि व किला न0 10 की 0.01202 गै0 मु0 रास्ता भूमि वादी की खातेदारी का ही सदामत से हिस्सा रहा है तथा उक्त किलेजात में रिकार्ड मात में गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने से वादी की खातेदारी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त गै0 मु0 रास्ता की भूमि को अपने नाम से मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया गया वादी का कथन है कि वादभूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है व मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया। वादी का कथन है कि रोही मोजा चक 8 बारानी के खाता सं0 217/196 के मु0 न0 2 के किला न0 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 12 ता 17, मु0 न0 3 के किला न0 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 20 कुल रकबा 5.0600है0 जिसमें बारानी 4.5520है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0780है0, गै0 मु0 भट्टा 0.341है0, गै0 मु0 भट्टा 0.089है00 राजस्व कृषि भूमि प्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी की खातेदारी में से मु0 न0 3 के किला न0 7 ता 9 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ता की भूमि व किला न0 10 की 0.01202 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। उक्त किलेजात में से कभी कोई आवागमन नही रहा है तथा ना ही उक्त रास्ता कभी अस्तित्व में रहा है। जिससे वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए मु0 न0 3 के किला न0 7 ता 9 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ता की भूमि व किला न0 10 की 0.01202 गै0 मु0 रास्ता की भूमि को मुमकिन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा तहसीलदार राजस्व भादरा की मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में रोही मौजा 8 बारानी के मु0 न0 3 के किला न0 7 ता 9 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ता की भूमि व किला न0 10 की 0.01202 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है लेकिन उक्त रकबे पर कोई रास्ता चालू नहीं है व अन्य काश्तकारों की जोत तक पहुंच के लिए एक अन्य रास्ता मु0 न0 3 के किला न0 1 ता 5 में चालू रास्ता है जिससे आवागमन चालू है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड रोही मौजा 8 बारानी के मु0 न0 3 के किला न0 7 ता 9 की कृषि भूमि में दर्ज रास्ता की भूमि व किला न0 10 की 0.01202 गै0 मु0 रास्ता दर्ज दर्ज है। तथा तहसीलदारा राजस्व भादरा की रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है। इसलिए वादी की भूमि में से गै0 मु0 रास्ता के लिए छोड़ी गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक उक्त किलों में वर्तमान में कोई रास्ता चालू नहीं है उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:17:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अतः तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 8 बारानी के मु० न० 3 के किला न० 7 ता 9 प्रत्येक की 0.01380 है० मु० रास्ता व किला न० 10 की 0.01202 है० मु० रास्ता दर्ज भूमि को निरस्त/कलमजन किया जाकर वादी रामजीलाल गोदारा के नाम खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/06/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

नोट :- निर्णय दिनांक 20/06/25 अनवान रामजीलाल गोदारा v/s स्टेट में प्रार्थी कृष्ण कुमार के स्थान पर रामजीलाल गोदारा पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:17:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 56/2025

अनवान : —

1. रामजीलाल गोदारा पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी श्योपुरावारा भादरा तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश गोदारा व प्रतिवादी श्री राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 बारानी के मु0 न0 3 के किला न0 7 ता 9 प्रत्येक की 0.013है0 गै0 मु0 रास्ता व किला न0 10 की 0.01202 गै0 मु0 रास्ता दर्ज भूमि को निरस्त/कलमजन किया जाकर वादी रामजीलाल गोदारा के नाम खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/06/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा-जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:17:29 IST
Reason: SelfAttested